<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 22/2017 (राजसमन्द डिकी)</u>

1. श्री इन्द्रमल पिता स्व.चुन्नीलाल जी पालीवाल (ब्राह्मण) निवासी तासोल तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज0)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती नारायणी बाई पुत्री स्व0 चुन्नीलाल जी पत्नी सोहनलाल जी पालीवाल ब्राह्मण निवासी तासोल तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द
2. श्रीमती रूकमणी बाई पुत्री स्व. चुन्नीलाल जी पत्नी घनश्या मजी पालीवाल, ब्राह्मण, निवासी हसनपुर उजाला सोसायटी, मकान नंबर 18, अहमदाबाद (गुजरात)
3. श्रीमती मोहनबाई पत्नी स्व. चुन्नीलाल जी पालीवाल निवासी तासोल तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज0) **<u>मृतक की बजाय</u>**:–

   3/1– श्रीमती अनिता पत्नी श्री गणेशलाल जी पालीवाल निवासी तासोल तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री रामलाल पिता स्व. चुन्नीलाल जी पालीवाल निवासी तासोल तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज0) **<u>मृतक की बजाय उसके कायम मुकाम</u>**:–

   4/1– श्रीमती प्यारीबाई पत्नी स्व. चुन्नीलाल जी पालीवाल निवासी तासोल तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज0)

   4/2– श्री शांतिलाल पिता स्व.चुन्नीलाल जी पालीवाल निवासी तासोल तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज0)

   4/3– श्री शंकरलाल पिता स्व. चुन्नीलाल जी पालीवाल निवासी तासोल तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री महेन्द्र जी पिता घासीलाल जी बोहरा महाजन निवासी तासोल तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज0)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द दिनांक
30–06–2016 प्रकरण संख्या 16/2010 वाद

––––/––––

उपस्थित :–1– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री प्रकाशचन्द पालीवाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3/1

2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–6

––––/––––

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 08–01–2019</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 3 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तासोल की वादपत्र की कलम संख्या–1 व 2 वर्णित आराजीयात चुन्नीलल जी की खातेदारी/सह–खातेदारी में थी। चुन्नीलाल जी का स्वर्गवास 34 वर्ष पूर्व होने के बाद उसके वारिसान के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामलाल व इन्द्रलाल तथा 2 पुत्रियां व पत्नी वादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 थी। तद्नुसार चुन्नीलाल की संपत्ति में दोनों पुत्रियों पत्नी व 2 पुत्रों सभी का 1/5 हिस्सा था। चुन्नीलाल जी की मृत्यु के बाद पुत्रियां व पत्नी को वंचित करते हुए पुत्रों द्वारा अकेले नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया तथा भूमियों में पेड़ काट रहे है तथा भूमियों का विक्रय भी कर रहे है। प्रतिवादी संख्या–3 भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का क्रेता आराजी नंबर 984 व 985 में होने के कारण अवैध निर्माण कर रहा है। वादीगण ने विवादित भूमियों में अपने हिस्से की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व अन्य उचित विधिक अनुतोष चाहा।

उपरोक्त वादपत्र के पेश होने के बाद प्रतिवादी संख्या–3 ने खण्डन का जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब दिनांक 27–8–2013 को बन्द कर दिया गया।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–6–2016 को निम्नानुसार आदेशिका अपीलान्ट प्रतिवादी स्वयं तथा उभयपक्ष के अधिवक्ता की उपस्थिति में अंकित की :–

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
	30–6–2016 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत तासोल पेश हुई पक्षकारान मय अधिवक्ता के उपस्थित वादीगण द्वारा विभाजन का अनुतोष नहीं चाहने का निवेदन किया प्रतिवादीगण ने वाद स्वीकार करने की सहमति व्यक्त की गई अतः वादी का स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा.फा. किया गया। पत्रावली फैसल शमुार होकर नंबर से कम होवे। ह0 / – सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	ह0 / – रामलाल दिग्विजयसिंह इन्दरमल

उपरोक्त आदेश दिनांक 30–6–2016 के लिए विस्तृत आदेश भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी करते हुए वादीगण का घोषणात्मक वाद डिक्री किया।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–6–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–4–2017 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–6–2016 को सहमति बताते हुए डिक्री पारित की है। जबकि रामलाल की मृत्यु डिक्री पारित होने से एक माह पूर्व दिनांक 20–5–2016 को ही हो चुकी थी। लोक अदालत में सहमति नहीं थी। पिता की 39 वर्ष पूर्व मृत्यु बाद पुत्रियों को अधिकार देना गलत है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी। अधिवक्ता ने भी जानकारी नहीं दी। नकल लेने पर निर्णय की जानकारी होने से अन्दर मयाद जानकारी अपील प्रस्तुत की जा रही है। उपरोक्त आवेदन मयाद शमन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता ने देते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने मिथ्या आवेदन पेश

किया है। अपीलान्ट स्वयं न्यायालय में उपस्थि हुआ था तथा सहमति देकर हस्ताक्षर आदेशिका पर किये है, सहमति आधार पर ही निर्णय किया गया है।

हमारे द्वारा दफा–5 जाब्ता मयाद पर बहस सुनने से हम यह पाते है कि अपीलान्ट स्वयं की उपस्थिति में दिनांक 30–6–2016 को सहमति आधार पर निर्णय पारित किया गया है। आदेशिका पर अपीलान्ट स्वयं के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट के सहमति स्वरूप किये गये हस्ताक्षरो को नहीं मानने का न्यायालय के पास कोई आधार नहीं है। सहमति निर्णय की प्रथमतया तो कोई अपील लाई नहीं होती, दूसरे अपीलान्ट की मयाद दिनांक 29–8–2016 होती है। जबकि यह अपील 17–4–2017 को करीब 8 माह विलम्ब से पेश की गई है तथा विलम्ब के लिए जो आधार बताये गये है सर्वथा मिथ्या है। क्योंकि निर्णय पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण तथा अपीलान्ट स्वयं के हस्ताक्षर ही है। अपीलान्ट द्वारा रामलाल की मृत्यु बाबत् कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है तथा रामलाल के वारिसान के उजर को अपीलान्ट उठाने को अधिकृत भी नहीं है। क्योंकि अपील में रामलाल के वारिसान बावजूद सूचना के अनुपस्थि रहे है। उपरोक्तानुसार अपीलान्ट की अपील प्रथम दृष्टया ही बेरून मयाद होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है यह स्वीकृत स्थिति है कि श्री चुन्नीलाल की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्रियों व पत्नी का हक पुत्रों के साथ प्रथम अनुसूचि अनुसार विधिक रूप से होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुत्रियों व पत्नी को उनके विधिक अधिकारों की घोषणा किये जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं की है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायाल का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–6–2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्ठि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08–01–2019 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री इन्द्रमल पिता स्व. चन्नीलाल जी पालीवाल (ब्राह्मण) निवासी तसोल तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज0) बनाम **1— श्रीमती नारायणी बाई पुत्री चुन्नीलाल जी पत्नी सोहन लाल जी पालीवाल निवासी निवासी तासोल तहसील व जिला राजसमन्द अन्य—6 व सरकार**

अपील नं0 **22/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत.......... **उपखण्ड अधिकारी** .... **राजसमन्द**.............. मुकाम मुर्क्खे........**30**.........माह.........**06**.............. **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**08**....... माह ......**01**.......... सन् **2019**...... रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी ....**श्री कमलेश चौहान**.............................. मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री पी.सी. पालीवाल** .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायाल का निर्णय व डिक्री दिनांक 30—6—2016 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**08**...... माह ...**01**........ **2019** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

पृथ्वीसिंह पिता श्री तखता जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)	बनाम	**1– बाबूसिंह पिता लच्छा जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0) अन्य–26 व सरकार**

अपील नं0 **22/2012** बनाराजगी डिगरी अदालत.......... **उपखण्ड अधिकारी** .... **कुम्भलगढ़**.............. मुकाम मुर्ख्खे........**12**.........माह.........**01**....... **2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**12**....... माह ......**12**.......... सन् **2017......** रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी ....**श्री अतुल पालीवाल....**............................ मिनजानिब अपीलान्ट व ....**राजकीय अधिवक्ता**.............. रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–1–2012 यथावत रखा जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**12**...... माह ...**12**........ **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
4. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 5. इजराय हुक्मनामा .... 6. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।